सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2023 / 223 दर्ज तिथिः—27.07.2023

1. भगाराम पुत्र केशाराम
2. मोटाराम पुत्र केशाराम
3. मूली पत्नी केशाराम
   जाति जाट निवासी हुकमोणी खोथों की ढाणी, तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. निकिता पुत्री तिलाराम
   जाति जाट निवासी हुकमोणी खोथों की ढाणी तहसील नोखड़ा

पार्टी संख्या 01

2. तिलाराम पुत्र पन्नाराम
   जाति जाट निवासी हुकमोणी खोथों की ढाणी तहसील नोखड़ा

पार्टी संख्या 02

3. रामूराम पुत्र पन्नाराम फौत के कायम मुकाम
   3 / 1 भैराराम पुत्र रामूराम
   3 / 2 चन्दूदेवी पत्नी रामूराम
   जाति जाट निवासी हुकमोणी खोथों की ढाणी तहसील नोखड़ा

पार्टी संख्या 03

4. देवराज पुत्र रामाराम
5. मोटाराम पुत्र सोनाराम
6. रेखाराम पुत्र सोनाराम
7. पोकराराम पुत्र सुरताराम
8. अणसीदेवी पत्नी रामाराम
9. जुंजाराम पुत्र सुरताराम
10. जोगाराम पुत्र रामाराम
    जाति जाट निवासी हुकमोणी खोथों की ढाणी तहसील नोखड़ा

पार्टी संख्या 04

11. दलाराम पुत्र रामदानराम
12. बाबूलाल पुत्र रामदानराम
13. चुनाराम पुत्र रामदानराम
14. जालाराम पुत्र रामदानराम
15. तीजोदवी पत्नी रामदानराम
16. ताजाराम पुत्र मोतीराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:42:53 IST
Reason: SelfAttested

जाति जाट निवासी हुकमोणी खोथों की ढाणी तहसील नोखड़ा हाल निवासी पनोणी काकड़ों की ढाणी (बायतू पनजी) तहसील बायतू

पार्टी संख्या 05
.....असल अप्रार्थीगण

17. तहसीलदार नोखडा जिला बाड़मेर

.....तकमीली अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री डालुराम चौधरी
अप्रार्थीगणः— श्री चिमनसिंह

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—16.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
    - कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 ता 16 की पैतृक खातेदारी आराजी खसरा संख्या 234/233.13 बीघा मौजा हुकमोणी खोथों की ढाणी तहसील नोखड़ा में अवस्थित थी।
    - कि राजस्व वाद संख्या 78/93 में न्यायालय द्वारा पारित विभाजन डिक्री अनुसार उक्त आराजी खसरा संख्या 234 चार भागों में विभक्त होकर दर्ज रिकॉर्ड है। न्यायालय आदेश की पालना में नवीन खसरा संख्या 234/59.17 बीघा व खसरा संख्या 234/3/18.00 बीघा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 11 ता 16 के हिस्से में अंकित किया गया। इसी प्रकार खसरा संख्या 234/1/77.18 बीघा लिछमणाराम, राउराम, तिलाराम पुत्रान पन्नाराम के नाम अंकित हुआ। खसरा संख्या 234/2/77.18 बीघा अप्रार्थी संख्या 04 ता 10 के पूर्वाधिकारी सुरताराम, सोनाराम, हेमाराम पुत्रान हीराराम के नाम अंकित किया गया।
    - कि तत्पश्चात् खसरा संख्या 234/1 का खातेदारों द्वारा सहमति बंटवारा के आधार पर अप्रार्थी संख्या 02 को खसरा संख्या 234/6 आंवटित किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त सहमति बंटवारा के आधार पर पृथक किये गये खसरा संख्या 234/6 में से रकबा 4.8562 है0 आराजी का बैचान अप्रार्थी संख्या 01 को कर दिया गया। जिससे अप्रार्थी संख्या 01 को नवीन खसरा संख्या 234/7 आवंटित किया गया एवं मूल खसरा संख्या 234/1 बंटवारा से अप्रार्थी संख्या 03 के हिस्से में रहा।
    - कि राजस्व वाद संख्या 78/1993 के निर्णय व डिक्री की पालना में पारित नामांतरकरण संख्या 27 में रकबे व नामांतरकरण की पुश्त पर प्रस्तावित तरमीम व नजरी नक्शा अनुसार सही अंकित किया गया। साथ ही उक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:42:53 IST
Reason: SelfAttested

नामांतरकरण के आधार पर जमाबंदी में खाते का रकबा नामांतरकरण व वाद संख्या 78/1993 में पारित निर्णय अनुसार सही दर्ज किया गया है। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा लट्ठा ट्रेस में खसरों की तरमीम नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम से भिन्न व रकबे अनुसार नहीं की गई। जिससे मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।

- अंत में प्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की तरमीम राजस्व वाद संख्या 78/1993 में पारित निर्णय अनुसार व संलग्न परिशिष्ट—बी के अनुसार किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 के अतिरिक्त शेष अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया गयाः—
   - कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मूल खसरा संख्या 234/233.13 बीघा मौजा हुकमोणी खोथों की ढाणी का राजस्व वाद संख्या 78/1993 में निर्णय दिनांक 07.08.1999 की पालना में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खसरे पृथक कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये थे।
   - कि न्यायालय आदेश की पालना में पृथक किये गये खसरों के अप्रार्थी संख्या 01 व 02 रिकॉर्डेड खातेदार हैं एवं उक्त खसरान पर 25 वर्षों से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 काबिज काश्त हैं। साथ ही अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के कब्जे काश्त की आराजी पर रहवासी ढाणी व अन्य अलामात बनाकर उक्त आराजी का निर्बाध रूप से उपभोग कर रहे हैं।
   - कि अप्रार्थीगण के न्यायालय आदेश से विभाजित हुई आराजी एवं तत्पश्चात् उपविभाजन से वर्तमान खसरा संख्या 231, 234/6 एवं 234/7 नवीन खसरे बने। जिन पर अप्रार्थीगण विगत 25 वर्षों से निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं।
   - कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मौके पर न्यायालय आदेश एवं सहमति विभाजन से पृथक हुई आराजी पर मौके पर काबिज काश्त हैं। प्रार्थीगण द्वारा मुख्य सड़क की आराजी पर एकाधिकार के रूप में कब्जा प्राप्ति हेतु उक्त आवेदन वास्ते तरमीम दुरूस्ती का पेश किया गया होने से काबिल—ए—खारिज है।
   - कि प्रार्थीगण द्वारा आदेश दिनांक 07.08.1999 से पृथक हुई आराजी में दुरूस्ती हेतु उक्त आवेदन 25 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात् पेश किया होने से उक्त आवेदन म्याद बाहर है। अतः प्रार्थीगण का उक्त आवेदन काबिल—ए—खारिज है।

3. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1877 दिनांक 20.12.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—बी के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:42:53 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण ने जवाब आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए आवेदन पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—बी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—बी का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

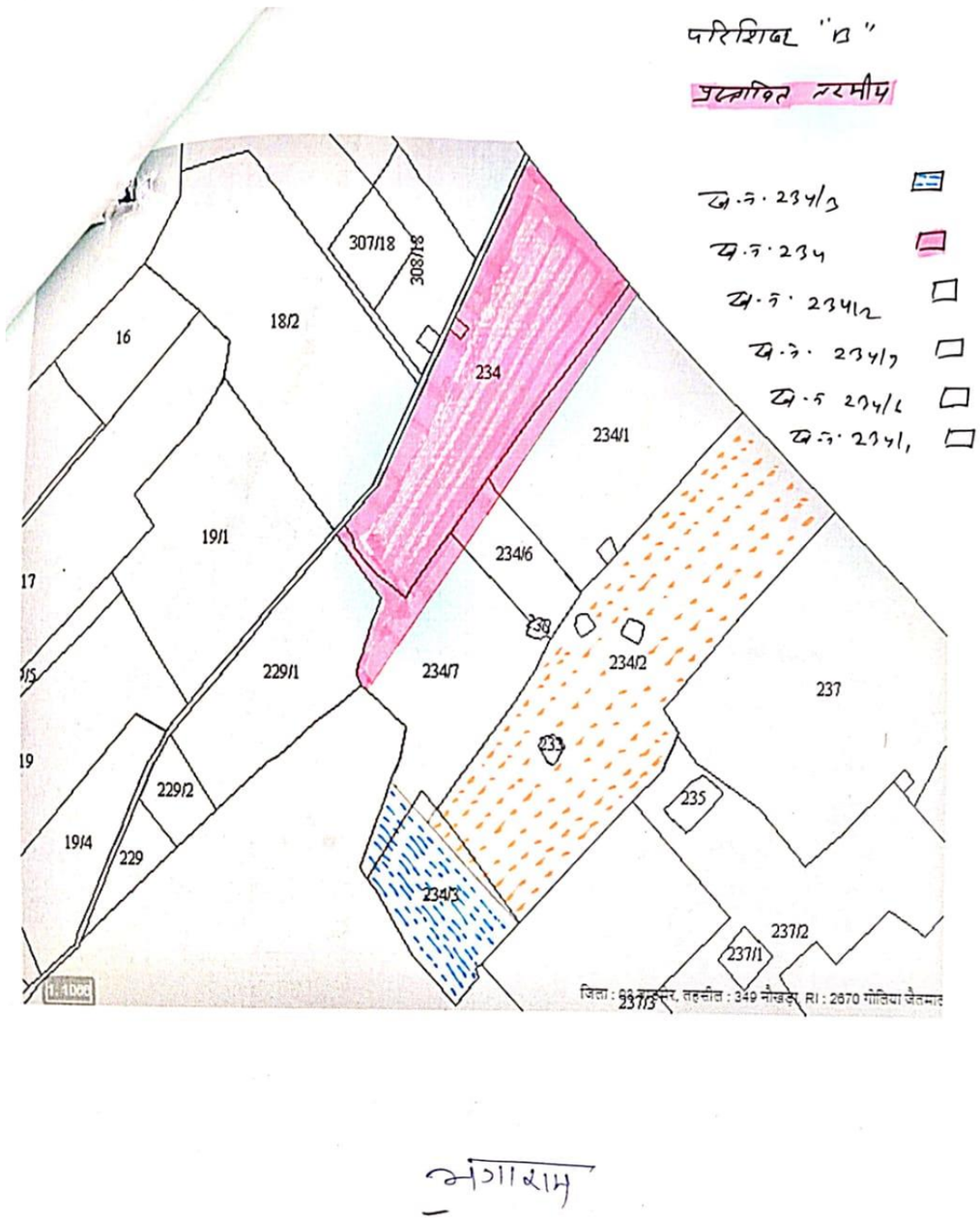

भगाराम

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—बी के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1877 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1877 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:42:53 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

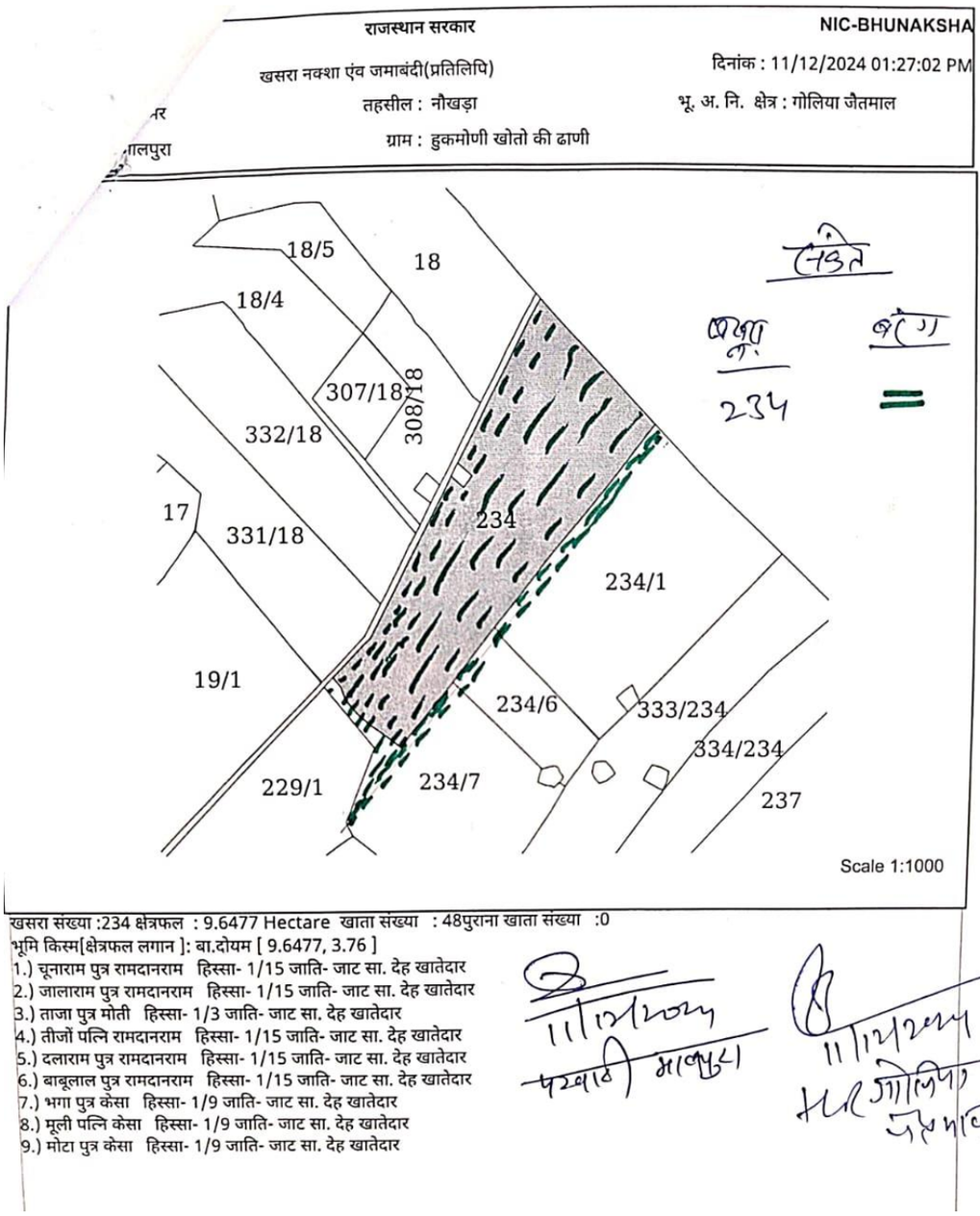

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1877 दिनांक 20.12.2024 का उद्धरण इस प्रकार है:—

   - *कि हाल खसरा संख्या 234 / 9.6477 है0, 234 / 3 / 2.9137 है0, 234 / 1 / 6.3293 है0, 234 / 6 / 1.3840 है0, 234 / 7 / 4.8562 है0, 333 / 234 / 6.2808 है0, 334 / 234 / 6.3292 है0, में खसरा संख्या 234, 234 / 1, 234 / 6, 234 / 7 का तितम्मा वर्तमान राजस्व नक्शे में रकबा बरारी अनुसार अंकित नहीं किया गया है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:42:53 IST
Reason: SelfAttested

- *कि हाल खसरा संख्या 234, 234/3, 234/1, 234/6, 234/7, 333/234, 334/234 का तितम्मा वर्तमान राजस्व नक्शे में कब्जा अनुसार अंकित किया गया है।*
- *कि हाल खसरा संख्या 234, 234/1, 234/6, 234/7 का तितम्मा की रकबा बरारी अनुसार/कब्जा अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।*

8. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा पत्रांक/भू.अ./2024/1877 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त से भिन्न है। साथ ही राजस्व वाद संख्या 78/1993 में निर्णय के साथ नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी की तरमीम तहसीलदार नोखड़ा पत्रांक/भू.अ./2024/1877 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार ही की जानी थी। परंतु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भिन्न तरमीम दर्ज की गई है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार नोखड़ा पत्रांक/भू.अ./2024/1877 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/भू.अ./2024/1877 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/भू.अ./2024/1877 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:42:53 IST
Reason: SelfAttested